

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 751 वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेन्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

**1. Case No. P2/603/24 Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 5.00 ha. (Stone 1,80,001 TPA & M-Sand-120001 TPA cum per annum) (Khasra No. 1455 Part) Village Mudahara, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Puniya Kondar, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1455 Part (सरकारी - नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village Mudahara, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 369 दिनांक 09/01/23 द्वारा स्वीकृत ।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-1,80,001 TPA & M-Sand-120001 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-1,80,001 TPA & M-Sand-120001 TPA है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.09 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 08/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 209 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं है, चूंकि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 215 दिनांक 09/02/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**2. Case No. P2/599/24 Shri MANOJ TYAGI, Proprietor of M/s Shri Ram Stone Crusher, R/o- Patel ward Sadar Betul, Tehsil & District- Betul (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.18 ha. (Ston 8,000 cum per annum) (Khasra No. 369/12, 369/4/2 & 369/4/1) Village Kolgaon Tehsil Betul , District- Betul (M.P.). B-2**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri MANOJ TYAGI, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MANOJ TYAGI, Proprietor of M/s Shri Ram Stone Crusher, R/o- Patel ward Sadar Betul, Tehsil & District- Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	369/12, 369/4/2 & 369/4/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	1.18 hectare.
स्थल	Village Kolgaon Tehsil Betul , District- Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 320 दिनांक 29/02/24 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-8,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 319 दिनांक 29/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.449 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

की अनापत्ति	319 दिनांक 29/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 319 दिनांक 29/02/24 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता एवं बरसाती नाला 500 मीटर की परिधि में स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोलगांव जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 03 Additional tree to be planted - 30
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर की स्थिति लीज क्षेत्र के बाहर स्थित है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तर दिशा में 140, 180 मीटर पर नाला स्थित है। पश्चिम दिशा- उत्खनिपट्टे से 353 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में पक्का रोड स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र में पूर्व का एक प्लांट स्थापित था जिसको खदान शुरू होने से पहले हटा लिया जावेगा जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 319 दिनांक 29/02/24 अनुसार उक्त खदान को संशोधित डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 8,000 cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.36 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.06 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	Recurri ng
<b>A.</b>	<b>For environment Protection</b>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 225 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	112,500	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
<b>5</b>	<b>Plantation (1460 trees will be planted)</b>			
	<b>Within Lease Area</b> (In Barrier Zone) @150rs./tree <b>1st year</b> -in periphery of Mine lease boundary (~560no's)	84,000	---	20,000
	<b>B. Outside the Lease Area</b> (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 225 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 <sup>st</sup> year – 750 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	25,000 37,500	7,500	20,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~562 m long) (@Rs 500/m)	2,81,000	---	15000
8.	PUC certification of vehicles ( 1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1,500
<b>Labour Welfare</b>				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
<b>Emergency Rescue Plany</b>				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
<b>Solid Waste Management</b>				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
<b>Other</b>				
16.	For Reduction Carbon Footprint through distribution of the Led bulb to the nearby villagers 500 nos @Rs100/bulb for the carbon sequestration.	50,000		
	<b>Total</b>	<b>8,29,000</b>	<b>7,500</b>	<b>2,06,500</b>
		<b>8,36,500</b>		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर पलवई में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	40,000/-
<b>योग</b>	<b>40,000/-</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1410 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि	560
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	700
4	ग्राम कोलगांव स्थित शासकीय माध्यमिक शाला पलवई में	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

**3. Case No P2/604/24 Shri Vidya Kondar, Village - Pandeypurwa, P.O. - Amanganj, Tehsil Ajaigarh, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone 61,152 TPA & M-Sand- 40768 TPA) (Khasra No1529 Part) Village- Mudahara, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vidya Kondar, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Vidya Kondar, Village - Pandeypurwa, P.O. - Amanganj, Tehsil Ajaigarh, Panna (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1529 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectare.
स्थल	Village- Mudahara, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur, (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 370 दिनांक 09/01/23 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 61,152 TPA & M-Sand- 40768 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 61,152 TPA & M-Sand- 40768 TPA है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 207 दिनांक 08/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.019 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 207 दिनांक 08/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 207 दिनांक 08/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं है, चूंकि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 218 दिनांक 09/02/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**4. Case No P2/605/24 Shri Vidya Kondar, Village - Pandeypurwa, P.O. - Amanganj, Tehsil Ajaigarh, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 6.00 ha. (Stone 1,80,001 TPA & M-Sand-1,20,001- TPA) (Khasra No. 412/5) Village- Doni, Tehsil - Lavkush Nagar, District - Chhatarpur, (M.P.) TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vidya Kondar, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Vidya Kondar, Village - Pandeypurwa, P.O. - Amanganj, Tehsil Ajaigarh, Panna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	412/5 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	6.00 hectare.
स्थल	Village- Doni, Tehsil - Lavkush Nagar, District - Chhatarpur, (M.P.)	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 4374 दिनांक 01/04/22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— 1,80,001 TPA & M-Sand-1,20,001- TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,80,001 TPA & M-Sand-1,20,001- TPA है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 205 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 205 दिनांक 08/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 205 दिनांक 08/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौनी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 26/02/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 217 दिनांक 09/02/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**5. Case No P2/619/24 Shri Himanshu Sharma S/o Shri Ved Prakash Sharma, Lessee, R/o- Gautam Vihar Colony, Shivpuri, District-Shivpuri, M.P - 473551, Prior Environment Clearance for Barai Stone Quarry for Production Capacity of Stone (Gitti) Max. 24,000 m<sup>3</sup>/year, Boulder 1,000m<sup>3</sup>/year & M-Sand Max.15,000m<sup>3</sup>/year having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 203 (Govt. land) Village - Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.). B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Himanshu Sharma, Lessee, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Himanshu Sharma S/o Shri Ved Prakash Sharma, Lessee, R/o- Gautam Vihar Colony, Shivpuri, District-Shivpuri, M.P - 473551, Prior Environment Clearance for Barai Stone Quarry for Production Capacity of Stone (Gitti) Max. 24,000 m <sup>3</sup> /year, Boulder 1,000m <sup>3</sup> /year & M-Sand Max.15,000m <sup>3</sup> /year having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 203 (Govt. land) Village - Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.). SIA/MP/MIN/464951/2024.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 203,	एरिया— 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village - Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.).	
Description of Project	It is a Stone Quarry with a Production Capacity of Stone (Gitti) Max. 24,000 m <sup>3</sup> /year, Boulder 1,000m <sup>3</sup> /year & M-Sand Max.15,000m <sup>3</sup> /year having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 203 (Govt. land) Village - Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.)	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1556 दिनांक 09/02/2024.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
टॉर स्थिति	लागू नहीं।	
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना रॉक ब्रेकर पर प्रस्तावित है	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Stone (Gitti) Max. 24,000 m <sup>3</sup> /Year, Boulder 1,000 m <sup>3</sup> /Year & M-Sand Max. 15,000 m <sup>3</sup> /Year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 255 दिनांक 13/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 255 दिनांक 13/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 255 दिनांक 13/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – बारई, जिला – शिवपुरी द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 01 दिनांक 02/10/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 08 Additional tree to be planted - 80
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	केशर की स्थिति लीज क्षेत्र के अन्दर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि— <ul style="list-style-type: none"> <li>● 500 मी की परिधि में कुछ अन्य गड्ढे परिलक्षित हो रहे हैं, जिनके सम्बंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एकल प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि अन्य गड्ढे पूर्व में संचालित खदानों के गड्ढे हैं एवं कुछ किसानों द्वारा अपनी निजी उपयोग हेतु खेतों में खोदे गए गड्ढे हैं एवं उत्खनिपट्टे के 500 मीटर की परिधि वर्तमान में केवल 2 अन्य उत्खनिपट्टे संचालित हैं</li> <li>● उत्खनिपट्टे के आस पास परिलक्षित हो रहे खेतों के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटवारी हल्का नंबर 116 दिनांक 09.05.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित है कि उत्खनिपट्टे के आस पास परिलक्षित हो रहे खेत अवैध हैं एवं कोई भी मानव बसाहट इस सर्वे</li> </ul>

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	<p>नम्बर में नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत बारई के पत्र क्रमांक 06 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में लगभग 25 मीटर की दूरी पर किसानों द्वारा मुरुम एवं मिट्टी निकालकर अवैध खेतों के लिए पाल निर्मित क गयी थी जो की कोई शासन द्वारा निर्मित जल रोकने की संरचना नहीं है</li> </ul>
	<p>दक्षिण दिशा— दक्षिण—पश्चिम दिशा में खदान क्षेत्र से लगभग 100 मीटर पर आबादी उपस्थित है, जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से प्रस्तावित है एवं खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं कि जावेगी</p>
	<p>पूर्व दिशा— उत्खनिपट्टे के पूर्व में 55 मीटर कुछ कच्चे मकान परिलक्षित हो रहे है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा भूमिस्वामियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए जिसमे उल्लेखित है कि उक्त घर खेती सम्बंधित सामान एवं मशीनरी रखने हेतु बनाये गए है एवं इनमे कोई रहवास नहीं है ।</p>
	<p>पश्चिम दिशा— कच्चा रास्ता खदान क्षेत्र से लगभग 43 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कच्चे रस्ते से 50 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा</p>
जल / वायु सम्मति वैद्यता	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शिवपुरी</b> के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 13/02/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone (Gitti) Max. 24,000 m<sup>3</sup>/Year, Boulder 1,000 m<sup>3</sup>/Year & M-Sand Max.15,000 m<sup>3</sup>/Year.
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 14.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.79 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 650 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And Sedimentation Tank for M-sand Three of 3m X 3m X 3 m each	95,000 60,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 200 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	100,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (Total 2,480 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~710no's)	106,500	---	20,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 200 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 <sup>st</sup> year – 1540 nos + 80 = 1,620 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 81,000	7500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~711m long) (@Rs 500/m)	355,500	---	15000
7	Curtaining around the crusher unit : total 100 m long Per Sheet Requires = 100/2= 50 (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet)	50,000		10,000
8.	PUC certification of vehicles ( 5 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	2500
<b>Labour Welfare</b>				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 10 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 10	Nil	---	28000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .10x 2000) for the workers	20,000	---	4,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
16.	For Reduction Carbon Footprint through distribution of the Led bulb to the nearby villagers 500 nos @Rs100/bulb for the carbon sequestration.	50,000		
17.	Cost for the crusher pollution control equipment	300000		50000
	Total	14,19,000	7500	279,500
		14,26,500		

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा कर दी जावेगी	1,10,000/-
योग	1,10,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2480 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	710
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3	ग्राम के गरही पड़ावली मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1620
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**6. Case No P-2/566/24 Shri BABULAL GUPTA, Owner, 46/144, Dharamdas baba toriya, titi road, opposite kaila mata mandir, tili ward, sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 1.70 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 164/2) Village- Chanari, Tehsil- Malthone, District- Sagar (M.P) TOR.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक बाबूलाल गुप्ता, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	बाबूलाल गुप्ता पिता श्री रूपचन्द गुप्ता निवासी - जवाहरगंज वार्ड सागर, जिला सागर मध्य प्रदेश
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 164/2 (शासकीय क्षेत्रफल - 1.70 हेक्टेयर - नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	ग्राम - चनारी तहसील - मालथौन, जिला - सागर राज्य - मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 15539/खनिज/उ.प./न.क्र.08/2022 भोपाल दिनांक 16/11/2022 के द्वारा स्वीकृत।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर –3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 3,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1544/खनिज/2023 सागर दिनांक .10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.7 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1544/खनिज/2023 सागर दिनांक .10/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं वन सीमा से 10 मीटर दूर है आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 अनुसार उत्खनन पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1544/खनिज/2023 सागर दिनांक .10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता नहीं है । उक्त स्वीकृत क्षेत्र से नाला 50 मीटर की दूरी पर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चनारी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

- 7. Case No P-2/570/24 M/s. Tirumala Traders partner Pankaj Mishra, Owner, R/o-Manak Chowk Mhow District- Indore State- M.P. Prior Environment Clearance for Gitti, M-Sand and Murrum in an area of 4.0 ha. (Gitti – 20000 m<sup>3</sup>/year, M-Sand – 56000 m<sup>3</sup>/year and Murrum - 7500 m<sup>3</sup>/year) (Khasra No. 420/1/1) Village- Akawi, Tehsil- Mhow, District- Indore (M.P) TOR.**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

प्रस्तावित गिट्टी एम-सैंड एवं मुरम खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s. Tirumala Traders partner Pankaj Mishra] Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	<b>Tirumala Traders partner Pankaj Mishra, Owner, R/o- Manak Chowk Mhow District- Indore State- M.P</b>	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	420/1/1 (निजी भूमि)	4.0 hectare.
स्थल	Village- Akawi, Tehsil- Mhow, District- Indore (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1229 दिनांक 09/6/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 20000 m <sup>3</sup> /year, M-Sand – 56000 m <sup>3</sup> /year and Murrum - 7500 m <sup>3</sup> /year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti – 20000 m <sup>3</sup> /year, M-Sand – 56000 m <sup>3</sup> /year and Murrum - 7500 m <sup>3</sup> /year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 43 .दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1. श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 43 .दिनांक 04/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 43 .दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आकवी जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 28/04/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 04/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**8. Case No P-2/569/24 Shri CHANDRAPAL YADAV , Add- Near badi mata mandir, Tehsil- Pathari, District- Vidisha (M.P). Prior Environment Clearance for Flagstone in an area of 1.0 ha. (Flagstone – 1499 Cubic meter per year) (Khasra No. 82) Village- Babai kalan, Tehsil- Pathari, District- Vidisha (M.P) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक चंद्रपाल यादव, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	चंद्रपाल यादव पुत्र श्री अवध नारायण यादव निवासी – बड़ी माता मंदिर के पास, पठारी, तहसील – पठारी, जिला – विदिशा राज्य मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 82 (शासकीय )      क्षेत्रफल – 1.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम – बावईकलाँ तहसील – पठारी, जिला – विदिशा राज्य मध्य प्रदेश ।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 1520/खनिज/23-24 विदिशा दिनांक 11/09/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर –1499 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 1499 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185/खनिज/2024 विदिशा दिनांक .12/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ब्लास्टिंग	लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185/खनिज/2024 विदिशा दिनांक .12/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 185/खनिज/2024 विदिशा दिनांक 12/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 09/04/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-101 के सरल क्रमांक - 12 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर -1499 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 4.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.21 लाख प्रति वर्ष।

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	60,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 270days	Nil	27,000
2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [ 422m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	50,000	5,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 578m , Width 6.0m) 578m @ 100Rs./Meter	57,800	10,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4	Plantation (1200 plants will be planted & Distribution during the first year)	1,70,000	15,000
5	Wire Fence 422 m x 200	84,400	10,000
<b>Labour Welfare</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	10,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1000
8	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. = 12500 Rs./twice per year @500 x 2 x 25	Nil	25,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1200 Rs.	30,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	3,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	3,000	2,500
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>4,76,700</b>	<b>1,21,000</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बावई कलाँ के शासकीय प्राथमिक शाला को मरम्मत हेतु	20,000
<b>कुल</b>	<b>20,000</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज,	200

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

		सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामीणों को पौधा वितरण	फल प्रजाति एवं स्थानीय प्रजाति के पौधों का वितरण	800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**9. Case No P-2/563/24 Shri HARINESH YAADAV, Address- Badi mata mandir ke pass, Village- Pathari, Tehsil- Pathari District- Vidisha (M.P). Prior Environment Clearance for Flagstone in an area of 2.0 ha. (Flagstone – 3060 Cubic meter per year) (Khasra No. 292/3) Village- Bisloni, Tehsil- Pathari. District- Vidisha (M.P) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक हरिनेश यादव, on-line एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	हरिनेश यादव पुत्र श्री बलराम सिंह यादव निवासी – बड़ी माता मंदिर के पास, पठारी, तहसील – पठारी, जिला – विदिशा राज्य मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 292/3 (शासकीय )   क्षेत्रफल – 2.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम – बिसलोनी तहसील – पठारी, जिला – विदिशा राज्य मध्य प्रदेश ।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 1271/खनिज/23-24 विदिशा दिनांक 14/08/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ब्लास्टिंग	लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर –3060 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 3060 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 187/खनिज/2024 विदिशा दिनांक .12/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 187/खनिज/2024 विदिशा दिनांक .12/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 187/खनिज/2024 विदिशा दिनांक .12/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिसलोनी जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/05/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-100 के सरल क्रमांक – 05 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर –3060 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 5.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.19 लाख प्रति वर्ष।

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	60,000	5,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 300days	Nil	30,000
2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [ 564m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	50,000	5,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 170m , Width 6.0m) 170m @ 100Rs./Meter	17,000	5,000
4	Plantation (2400 plants will be planted & Distribution during the first year)	2,80,000	15,000
5	Wire Fence 564 m x 200	1,12,800	10,000
<b>Labour Welfare</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	10,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1000
8	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. = 12500 Rs./twice per year @500 x 2 x 25	Nil	25,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1200 Rs.	30,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	3,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	3,000	2,500
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>5,74,300</b>	<b>1,19,000</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बिसलोनी के शासकीय प्राथमिक शाला को मरम्मत हेतु	30,000
<b>कुल</b>	<b>30,000</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामीणों को पौधा वितरण	फल प्रजाति एवं स्थानीय प्रजाति के पौधों का वितरण	1800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**10. Case No P2/608/24 Shri MANOHAR GURJAR, Lessee, R/o-Village- Ranayara, Tehsil- Jaora, District-Ratlam, M.P, Prior Environment Clearance for Gitti Quarry and M-Sand for Stone Quarry with a Production Capacity of Gitti – 10000 m<sup>3</sup>/Year and M-Sand – 10000 m<sup>3</sup>/Year having a lease area of 4.00 hectare, at Khasra No. -110 (Govt. land) Village - Tarashya, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.) B-2**

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri MANOHAR GURJAR, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MANOHAR GURJAR, Lessee, R/o-Village- Ranayara, Tehsil- Jaora, District-Ratlam, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	110 (Govt. land)	4.00 hectare.

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

स्थल	Village - Tarashya, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रमांक .301 दिनांक 09/1/24 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 10000 m <sup>3</sup> /Year and M-Sand – 10000 m <sup>3</sup> /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti – 10000 m <sup>3</sup> /Year and M-Sand – 10000 m <sup>3</sup> /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 18/9/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 18/9/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 18/9/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपल्यासीर जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	केशर की स्थिति लीज क्षेत्र के अन्दर स्थित है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि उत्तर पूर्व दिशा- उत्खनिपट्टे के उत्तर पूर्वी में दिशा में एक गड्ढा दिख रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवक द्वारा सरपंच के द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.05.2024 प्रस्तुत किया गया जिसमे यह उल्लेखित है कि यह गड्ढा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में निकली गयी मुरुम के कारण के निर्मित हुआ है।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 162 दिनांक 05/02/2024 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी ।
----------------------------------	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 10000 m<sup>3</sup>/Year and M-Sand – 10000 m<sup>3</sup>/Year
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 16.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.60 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 710 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. And Sedimentation Tank for M-sand Three of 3m X 2m X 3 m each	1,05,000 60,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 250 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	125,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr,	NIL	---	30,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	Soil @5000/yr			
5	Plantation (Total 4800 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year –in periphery of Mine lease boundary (~800no's)	106,500	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 250 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 50 no's at Village Temple @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 <sup>st</sup> year –3,850 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 192,500	7500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~800 m long) (@Rs 500/m)	400,000	---	15000
7	Curtaining around the crusher unit : total 150 m long Per sheet required = $150 / 2 = 75$ (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet)	75,000		10,000
8.	PUC certification of vehicles ( 3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1500
<b>Labour Welfare</b>				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 10 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 10	Nil	---	20000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .10x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting & drilling (@1 belts of Rs 2000)	22,000	---	4,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
<b>Solid Waste Management</b>				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
16.	For Reduction Carbon Footprint through distribution of the Led bulb to the nearby villagers 500 nos @Rs100/bulb for the carbon sequestration.	50,000		
17.	Cost for the crusher pollution control equipment	2,50,000		40,000
	Total	15,97,000	7500	2,60,500
		16,04,500		

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्र.	सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर तराश्या में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	80,000/-
	<b>योग</b>	80,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन 800 के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवलाँ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 250 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 मई 2024**

3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	3850
4	ग्राम पिप्लियासिर में स्थित मंदिर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**11. Case No 6713/20 Shri Swapnil Wycliffe, Owner, new christian colony sagar distt sagar (M.P.) Shri Swapnil Wycliffe, Owner, new christian colony sagar distt sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.36 ha. (1680 cum per annum) (Khasra No. 739/1, 738/1, 738/2, 738/8) Village- Ujnethi, Tehsil- Shahgarh, District- Sagar (M.P.) EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री स्वप्निल वायक्लिफ, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Swapnil Wycliffe S/o Shri Vinod Wycliffe R/o- New Christian Colony, Sagar, District- Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	739/1, 738/1, 738/2, 738/8 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.36 hectare.
स्थल	Village-Ujnethi, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 381 दिनांक 20/02/2019 के द्वारा स्वीकृत।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 05/02/2019, क्षमता- 1,680 घनमीटर/वर्ष, उत्पादित मात्रा-1,680 घनमीटर/वर्ष		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी-1		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार - स्वाति नामदेव, स्थल का नाम- उजनेठी, दिनांक- 10/03/2023		
टॉर	सेक की 418वीं बैठक दिनांक 23/01/2020 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 28/02/2020 के द्वारा के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर-1,680 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 1,680 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 380 दिनांक 20/02/2019 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.22 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 380 दिनांक 20/02/2019 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 380 दिनांक 20/02/2019 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उजनेठी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में 6 पेड़ स्थित है। जिन्हे नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा है। (3 पेड़ पलाश एवं 3 पेड़ आम के है)
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा— नाला लगभग 40मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जिससे 10 मीटर का सैटबैक दिया गया है। दक्षिण में जो गडढा है उसका विवरण सरफेसर मैप में दिया गया है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	05 / 03 / 2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक— 283 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर—1,680 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.16. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.93 लाख प्रति वर्ष

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
-------	-------------	----------------------	------------------------

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	2,29,500
1(b)	Water requirement- 6.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (750m in length × 6m in width)	50,000	50,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(1000X200= ₹ 2,00,000)	
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(300 X100 = ₹ 30,000)	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(330X 400 = ₹ 1,32,000)	
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 250 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 2 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	50,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks× 500 × 2 times in a year)	--	1,000
6	<b>Monitoring (AAQM, Noise, Soil &amp; Water twice in a year)</b> Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
7	Wire fencing (651 m) @200 rupees/meter.	1,30,200	5,000
8	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
9	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
11	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -30 × 500 × 2)	-	10,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

12	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
13	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 30 × 1500)	15,000	3,000
14	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
15	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
17	For Reduction Carbon Footprint through adaptation of full grown trees for 10 Years (644 Plants x 100 Rs / Plant)	64,400	64,400
	<b>TOTAL *</b>	<b>9,16,600/-</b>	<b>4,93,400/-</b>
Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budgeted, solar power amount, water fogging machine in mining/curser area, in other specific provisions.			

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	<b>60,000/-</b>

### Plantation Scheme

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1630 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	330
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा,	300

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
	योग	1630
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 10 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**12. Case No P-2/568/24 Shri UDAYBHAN THAKUR, Owner, Add- Main Road, Village- Singori, Tehsil- Patan, District- Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.0 ha. (30,085 cum per annum) (Khasra No. 86 part) Village- Poniya, Tehsil- Majhauri, District- Jabalpur (M..P.) B-2.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री उदयभान सिंह ठाकुर online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स – गोपाल कन्स्ट्रक्शंस प्रो० श्री उदयभान सिंह ठाकुर पिता – श्री पुष्कर सिंह ठाकुर निवासी – मेन रोड, ग्राम – सिंगौरी, तहसील – पाटन, जिला जबलपुर राज्य – मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 86 भाग (शासकीय )   क्षेत्रफल – 2.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम – पौनिया तहसील – मझौली, जिला – जबलपुर, राज्य – मध्य प्रदेश ।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1493/खनिज/32183क्यूएल/2023 जबलपुर दिनांक 01/02/2024 के द्वारा स्वीकृत ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर –30,085 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 30,085 घनमीटर/वर्ष

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	है।
ब्लास्टिंग	लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1559/क्यू.एल./खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक .12/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.950 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1559/क्यू.एल./खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक .12/02/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र रानी दुर्गावती अभ्यारण्य से लगभग 07 किमी दूरी पर है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1559/क्यू.एल./खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक .12/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गठौरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भविष्य में दर्ज कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - जबलपुर से पत्र क्रमांक 1577/खनिज/क्यू.एल./2023-24 जबलपुर दिनांक 15/02/2024 प्राप्त हुआ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर -30,085 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.21 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.19 लाख प्रति वर्ष।
- 3.

**ANNUAL EMP COST**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	60,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 300days	Nil	30,000
2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [ 533m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	50,000	5,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 100m , Width 6.0m) 100m @ 600Rs./Meter	60,000	5,000
4	Plantation (2400 plants will be planted & Distribution during the first year)	2,80,000	15,000
5	Wire Fence 533 m x 200	1,06,600	10,000
<b>Labour Welfare</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	10,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1000
8	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. = 12500 Rs./twice per year @500 x 2 x 25	Nil	25,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @1200 Rs.	30,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	3,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	3,000	2,500
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>6,21,100</b>	<b>1,19,000</b>

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पौनिया के शासकीय प्राथमिक शाला को मरम्मत हेतु	50,000
<b>कुल</b>	<b>50,000</b>

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामीणों को पौधा वितरण	फल प्रजाति एवं स्थानीय प्रजाति के पौधों का वितरण	1800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**13. Case No 9895/23 Shri SHEKHAR PATWALA, Owner, 72, Sukh Niwas, Gram Sukh Niwas, Indore. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.60 ha. (Stone - 50000 Cubic meter per Year (Khasra No. 82, 81/1, 81/2, 81/5) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwaha, Distt. Khargone (MP). EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शेखर पाटवाला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी ऑनलाईन, मेसर्स ए.एस.जी इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Shekhar Patwala S/o Shri Govarghan Patwala R/o- Sukhniwas, Tehsil- Indore, District- Indore (M.P.)

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	82, 81/1, 81/2, 81/5 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) सहमति		3.60 hectare.
स्थल	Village - Jhigadi, Tehsil - Badwaha, District - Khargaon (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 9082 दिनांक 06/12/2022 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 20/01/2023, क्षमता- 50,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 1 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार - नीरज प्रजापति, स्थल का नाम- झिगड़ी दिनांक- 08/11/2023		
टॉर	सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 599 दिनांक 06/06/2023 के द्वारा के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 50,000 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9627 दिनांक 25/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.5 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9627 दिनांक 25/02/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

अनापत्ति	क्रमांक 9627 दिनांक 25/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिगड़ी तह. बड़वाह जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 20 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— इलेक्ट्रिक पोल लगभग 315 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। पश्चिम दिशा— इलेक्ट्रिक पोल लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिससे 120 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है। पश्चिम मध्य में जो गडडा है उसका विवरण सरफेसर मैप में दिया गया है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	06/03/2024
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 19.67. लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.85 लाख प्रति वर्ष

**3. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	4,05,000
1(b)	Water requirement- 9.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant. (2000X200= ₹ 4,00,000)	7,97,000	5,000
	d) Plantation along the Approach Road @ Rs.550/plant (including tree guard) (550X400 = ₹ 2,20,000)		
	c) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant. (1770X 100 = ₹ 1,77,000)		
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 1170 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 2 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	1,50,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (21 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	21,000
5A	For crusher Pollution Control Equipmenr	3,00,000	50,000
6	Wire fencing (1151 m) @200 rupees/meter.	2,30,200	5,000
7	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)		
	Pollution Monitoring		
	i) Air pollution		30,000
	ii) Water pollution		30,000
	iii) Soil Pollution		20,000
iv) Noise Pollution	20,000		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

8	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	30,000	6,000
9	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
11	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 30 Labors -30 × 500 × 2)	-	30,000
12	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
13	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 30workers - 30× 1500)	45,000	5,000
14	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
15	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (804 plants x 100Rs/Plant)	80,400	80,400
TOTAL		<b>19,67,600/-</b>	<b>7,85,400/-</b>

Apart from other facts mention carbon footprint amount, in case of building fire expenditure, STF budged, solar power amount, water fogging machine in mining/cursor area, in other specific provisions.

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

#### 4. Plantation Scheme

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4320 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय	2000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

		फलदार प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	550
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1770
योग			4320

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**14. Case No 9786/23 M/s S.R. Minerals, Partner, Smt. Neelam Sharma R/o Flat No. 303, Lord Shiva Residency, District-Indore (MP)-456335. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.368 ha. (Stone - 50000 Cum per annum) (Khasra No. 51/1/1/1, 50/1), Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (M.P.) EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Smt. Neelam Sharma, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी ऑनलाईन, मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	MS S.R. Minerals, Smt. Neelam Sharma R/o-Flat No.-303, Lord Shiva Residency, District-Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	50/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) 51/1/1/1 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.368 hectare.

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

स्थल	Village- Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक 2231 दिनांक 06/12/2022 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 20/01/2023, क्षमता- 50,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी- 1 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम- झलारीया, दिनांक- 11/01/2024		
टॉर	सेक की 634वीं बैठक दिनांक 07/04/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 363 दिनांक 16/05/2023 के द्वारा के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 50,000 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 51 दिनांक 12/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 9.558 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 51 दिनांक 12/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 51 दिनांक 12/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झलारीया जिला इन्दौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 01/09/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थल परवृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 02 पेड़ स्थित है, जोकि नहीं काटे जाएंगे। (2 आम के पेड़ है।)
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्का रोड लगभग 305 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एवं पूर्व में स्थापित केशर है जिसका कुछ भाग लीज क्षेत्र के उत्तरी भाग में आ रहा है जो कि पूर्णतः धवस्त अवस्था में है जिसको भूप्रवेश मिलने के बाद खदान संचालित होने के पहले हटा दिया जाएगा। दक्षिण दिशा— 157 मिटर की दूरी पर ग्रामिण कच्चा रास्ता है खदान के दक्षिण मध्य में जो गडढा दिखई दे रहा है वह 2012-13 का है जिसका विवरण खनन योजना के सरफेस मेप में दिया गया है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	06/03/2024
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4. लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.88. लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.88 लाख प्रति वर्ष

**5. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.		4,23,500
1(b)	Water requirement- 9.4 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(1500X200= ₹ 3,00,000)	5,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(600X100 = ₹ 60,000)	
	c) Plantation along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(800X 400 = ₹ 3,20,000)	
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 654 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is 1 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	1,00,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (21 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	10,500
5A	For Crusher Pollution Control Equipment with movable sheet	3,00,000	50,000
6	Wire fencing (634 m) @200 rupees/meter.	1,26,800	5,000
7	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

8	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	20,000	4,000
9	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
11	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25 × 500 × 2)	-	25,000
12	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
13	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25workers - 25× 1500)	37,500	3,000
14	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
15	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) ,2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (896 Plants x 100 Rs / Plant)	89,600	89,600
	<b>TOTAL</b>	<b>16,88,900/-</b>	<b>7,88,600/-</b>

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

**6. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय	1500

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

		फलदार प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
योग			2900

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 10 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभावित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा-** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**15. Case No P2/576 /24 Shri RAJENDRA YADAV, Owner, GRAM CHIKHALI POST MANERI TEHSIL-NIWAS DISTRICT-MANDLA (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 1.10 ha. (8,000 cum per annum) (Khasra No 79) Village: Chikhali , Tehsil: Niwas, District: Mandla (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री. राजेंद्र प्रसाद यादव, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार कृष्णचन्द्र पांडा, ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री. राजेंद्र प्रसाद यादव निवास-ग्राम-चिखली, तहसील-निवास, जिला-मंडला (मध्य प्रदेश)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नंबर 79, निजी कृषि भूमि (नॉन-फारेस्ट लैंड)	1.10 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम-चिखली, तहसील-निवास, जिला मंडला, राज्य मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1864 दिनांक 19/12/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-8000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 8000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.10 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 22/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिलनगरी माल जिला मंडला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 04 जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- खदान के उत्तर दिशा में 26 मीटर पर एक हाइपर टेंशन लाइन का एक खम्बा एवं २०० मीटर पर एक कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है
	दक्षिण दिशा- खदान के दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर आवादी क्षेत्र , 121 मीटर पर एक कच्ची ग्राम सड़क, 250 मीटर पर एक पक्की सड़क एवं 380 मीटर पर एक तालाब परिलक्षित हो रही है
	पूर्व दिशा- खदान के पूर्व दिशा में 225 मीटर पर एक कच्ची ग्राम

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	सड़क परिलक्षित हो रही है
	पश्चिम दिशा- खदान के पश्चिम दिशा में 178 मीटर पर मानव वसाहत एवं 198 मीटर पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर 9 में दर्ज कर लिया गया है। माइनिंग ऑफिसर जिला मंडला के पत्र क्रमांक- 148 दिनांक- 19/02/2024 के अनुसार ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 8.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.03 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP Table-**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt. Cost for 300 days for 8.03 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 300/- per tanker	0	1,44,540
1(b)	Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 0.225 KLD @ 5 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker	80,000	8,100
1(c)	Discharge of waste water 300 days for 0.18 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker	0	21,600
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 263 m, Width 5.0m) @ 500Rs. /Meter.	1,31,500	13,150
3	Monitoring (Air, Water & Noise)	Nil	40,000
3a	Settling Tank & Garland Drains	1,00,000	10,000
4	Grazing Land	65,000	78,000
5	Wire Fence 456 m x 500/- meter	2,28,000	22,800
<b>Plantation Scheme</b>			
6	In safety barrier = 600 No. of plant@20/-per plant= 12,000	51,500	3,150
	Both sides of Approach Road = 250 No. of plants @ Avg. /-100 per plant= 25,000		
	Distribution of Saplings in farmers 150*30 = 4,500		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	500 Plants are planted in non mining zone 500*20= 10,000		
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
9	Occupational health Survey 5 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 5	Nil	5,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 5 labor @1200 Rs.	6000	1,000
11	First Aid Kits, Number of kits 5	5,000	1000
12	Fire Safety (2 nos.), @ 30,000	60,000	3,000
<b>Solid Waste Management</b>			
13a.	Bins 2 Nos.	1,500	4,000
13b.	Transport of Dry Waste	5,000	
14	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
<b>Total EMP cost</b>		<b>8,08,500</b>	<b>4,03,340</b>

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में हाइपर टेंशन लाइन के खम्बे एवं दक्षिण दिशा में मानव बसाहट से नियमित दूरी छोड़ने के उपरांत 0.66 हेक्टेयर नॉन माइनिंग एरिया एवं 0.44 हेक्टेयर माइनिंग एरिया ही शेष बचता है जिसमें 6 मीटर कि गहराई अनुमोदित है जिससे प्रति वर्ष उत्खनन 5280 घन मीटर प्रति वर्ष ही हो सकता है एवं खनन योजना 8000 घन मीटर प्रति वर्ष के लिए अनुमोदित है रिवाइज सरफेस प्लान के अनुसार माइनऐवल एरिया 0.44 हे. प्रस्तावित किया है।
- 4- The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production.
1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

CER Table-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय चिखली के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	50,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Plantation Scheme -

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, सीसम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	250
3	ग्राम चिखली के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	150
4	खदान के भीतर नॉन-माइनिंग ज़ोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, सीसम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	500
कुल			1500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**16. Case No P2/622/24 Shri GOURAV PAL, Lessee, R/o- 93 A, Vishwakarma Nagar Indore, District-Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.50 ha. (Stone - 50000 Cum per annum) (Khasra No. 62/1/2/2 ), Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) TOR**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri GOURAV PAL एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri GOURAV PAL, Lessee, R/o- 93 A, Vishwakarma Nagar Indore, District-Indore, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	62/1/2/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)   4.50 hectare.
स्थल	Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 539 दिनांक 27/09/2028 के द्वारा स्वीकृत । लीज अवधि 28/09/2018 से 27/09/2028 तक स्वीकृत है, श्री रवि किशन पिता सुदामा यादव द्वारा शेष अवधि उत्खनी पट्टा श्री गौरव पाल को नाम अंतरण कर दिया गया ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया द्वारा पत्र क्रमांक 166 दिनांक 28/09/2018 द्वारा पत्थर-40700 घनमीटर /वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को सिया के पत्र क्रमांक 3420 दिनांक 17/3/22 के परियोजना प्रस्तावक के नाम से स्थानांतरित की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया टॉर ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 20700 m <sup>3</sup> /Year and M-Sand 20,000 m <sup>3</sup> /Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti – 20700 m <sup>3</sup> /Year and M-Sand 20,000 m <sup>3</sup> /Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 526 दिनांक 18/02/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 36.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 526 दिनांक 18/02/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 526 दिनांक 18/02/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रंगवासा जिला इंदौर के पत्र दिनांक 24/4/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- 375 दक्षिण दिशा में पक्की सड़क
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण इंदौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-44 के सरल क्रमांक- 52 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" (परिशिष्ट-1 संलग्न) अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**17. Case No 9278/2024 Shri Alok Jain, lessee, S/o chandraban Jain Ward No 5 sagar Road Near Bus Stand Ghuwara Budour Ghaura Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.182 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 72/1, 73/1,73/3) Village-Jujharpura, Tehsil-Buxwaha, District-Chhatarpur (M.P.) EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अलोक जैन (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	"JUJHARPURA STONE MINES OF SHRI ALOK JAIN", SHRI ALOK JAIN (LESSEE), R/o- WARD NO. 5, SAGAR ROAD, NEAR GHUWARA BUS STAND, BUDOUR GHURA, DISTRICT- CHHATARPUR (M.P.).
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)/72/1, 73/1, 73/3 नोइयत- चरनोई 1.182 hectare.
स्थल	Village- Jujharpura, Tehsil- Buxwaha, District - Chhatarpur, State-Madhya Pradesh

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म, (म.प्र.), भोपाल आदेश क्रमांक 6526/खनिज/न. क्र. 44/उ.प./2021, भोपाल, दिनांक- 10/05/2022
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
टॉर	सेक की 593वीं बैठक दिनांक 7.9.2022 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1676/SEIAA/2022 दिनांक 23.9.2022 के द्वारा पत्थर 25,000 Cum/Year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 25,000 Cum/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 25,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/1601/खनिज/2022 छतरपुर, दिनांक-19/07/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 8 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.364 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/1601/खनिज/2022 छतरपुर, दिनांक-19/07/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/1601/खनिज/2022 छतरपुर, दिनांक-19/07/2022, 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/ श्मशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियोस्टेशन, दूरद नि, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कैरवारा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8. दिनांक 14.04.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्ताविस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में पेड़ नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	स्वीकृत पट्टा क्षेत्रके 500 मी. की परिधि में आबादी क्षेत्र नहीं है। पूर्व दिशा-राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) -320मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म.प्र.) के पत्र-क्रमांक 1037/खनिज/2022 छतरपुर, दिनांक-25/04/2022. नई स्वीकृत खदान पट्टा सूची में क्र. सं. 4. पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया खदान में ओल्ड पिट है जो की अनुमोदित माइन प्लान और सरफेस प्लान में दिखाया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 25,000 Cum/Year
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 15.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.18 लाख प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

1(a)	Water sprinkling though tanker Automatic Tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2100 ltr. @0.15 Rs./liter for 300 days)	NIL	94,500
2	Garland Drain is proposed (218 m x1.5mx1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m 2. Settling Tank is 10m x 04m x 1.5m	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mX5m) @500/sqm	5,00,000	50,000
4	Plantation in 7.5m barrier zone @ Rs. 200/plant. [570 x Rs.200= 1,14,000]	214, 500	21,450
	Plantation in village and school @ Rs. 50/plant. (6,10x Rs.50= 30,500]		
	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. [140 x Rs. 500= 70,000]		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75000x2 @ Rs. 1,50,000 for two locations/year	Nil	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	20,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPes for other mining operations for 20+2=22 (2 Extra) workers @ Rs.1500/worker	33,000	3,300
11	Shelter rooms for labors (20*10) =200 Square feet @Rs.800/square ft.	1,60,000	16,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 05 trucks @1000/truck	NIL	5,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5000
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Website development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	Nil
16	Barbed Fencing for 570m @ 500/meter	1,71,000	1,710
17.	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
18.	VT Trainings for 20 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	Nil	10,000
19.	LED Bulb distribution	50,000	-
	<b>Total</b>	<b>15,15,500/-</b>	<b>4,18,960/-</b>

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.7 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम जुझारपुरा के ग्रामवासियों के लिए साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जायेगा	20,000 /—
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम जुझारपुरा के प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षक पालक संघ के खाते में अधोसंरचना विकास के लिए राशि प्रथम वर्ष में जमा करवाया जावेगा ।	50,000 /—

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1420 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	570
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	140
3	गाँव जुझारपुरा के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि ।	590
4	ग्राम जुझारपुरा के शासकीय विद्यालय ।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि ।	20
5	चारागाह के विकास हेतु ।	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पंचायत के माध्यम से लगाये जायेंगे । जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

**18. Case No 9604/23 Sardar Singh Gurjar, Owner, 248 Paras Vihar Colony Gwalior (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.00 ha. (Stone (Gitti) – 30000 m<sup>3</sup>/Year.) (Khasra No. 1/1), Vill. Rawad, Tehsil – Depalpur, Distt. Indore (M.P.) EIA**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक सरदार गुर्जर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सरदार सिंह पिता श्री वृदावन सिंह गुर्जर, निवासी –248, पारस विहार कॉलोनी, ग्वालियर, जिला ग्वालियर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/1 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.00 हेक्टेयर सरकारी भूमि
स्थल	ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक - 852/खनिज/2022, दिनांक 04.04.2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	रॉक ब्रेकर पर आधारित अनुमोदित संशोधित खनन योजना प्रस्तुत की गई है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरम– 30,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1719/खनिज/2022 दिनांक 07.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.570 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1719/खनिज/2022 दिनांक 07.09.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1719/खनिज/2022 दिनांक 07.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरद नि, हवाई अड्डा,

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रावद जिला इन्दौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2029 दिनांक 24.01.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-03 Tree Felling- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – 10 <b>मीटर पर</b> हालेज रोड एवं पूर्व दिशा – 25 मीटर पर पक्की सडक है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-55 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो	<b>प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.01.2024 को संपन्न जन सुनवाई क रोजगार,पौधारोपण, पानी का छिड़काव ये ही मुख्य बिंदु हे जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</b>

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा रॉक ब्रेकर पर आधारित क्षेत्र प्रमुख इन्दौर डीजीएम कार्यालय से दिनांक 11/05/2024 को अनुमोदित संशोधित खनन योजना प्रस्तुत की गई है। पूर्व दिशा में 25 मीटर पर पक्की सडक स्थित होने के कारण 75 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है इस संबंध में अतः 0.22 हे. गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है जिसे सरफेस मेप में प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.17.55 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.01 लाख प्रति वर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत रुपये ) (में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	30,000
1.ब	पानी की कीमत 3.00 KLD	75,000	30,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 50 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	45,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	7,52,500	30,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों/वर्ष के लिए/	-	1,26,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक ) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलर .और रु ( वर्ष रखरखाव के लिए।/2000	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	10,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष ) में दो बार प्रति श्रमिक500 रु(	-	22,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	33,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	8,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाशवेब (	50,000	5,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 मई 2024**

	) साइट विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./000खननवेब ( कैमरा, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड )@ /2000सोलर आदि (		
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 1200 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4 एवं मजदूरी	68,000	20,000
15.	खदान के परिधि में 1300 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी )@ रु.5/00मीटरकी जाएगी(	6,50,000	50,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	11,000
17	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्राम में LED distribute की जाएगी प्रति नग @500 X 60	30,000	-
	<b>कुल योग</b>	<b>19,78,000</b>	<b>4,01,000</b>

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रावड के भासकीय विद्यालय मे अधोसंरचना विकास हेतु पालक शिक्षक संग समिति मे राशि जमा कराई जायेगी ।	1,50,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 1200 मीटर की लम्बाई पर 3 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा )	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, गुग्गल, सफेद कस्टार, सिस्सु काला सिरस, सफेद सिरस आदि।	2000
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (50 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनों में 4 फीट	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	50

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में		
3	पट्टा क्षेत्र के उत्तर में जो WBM रोड बनी हुई है उस पर मीटर की 600 लाइनों में पौधा रोपण 2 लम्बाई तक किया जायेगा	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	300
4	नॉन माइनिंग ज़ोन में किया जाने वाला पौधा रोपण	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	400
5	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1950
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**19. Case No P2/623/24 Shri Rajkumar Lodhi, Lessee, S/o Shri Nanjiram Lodhi, R/o- Village-Khandi, District- Rajgarh (M.P) - 465677, Prior Environment Clearance for Teligaon Stone Quarry 12500 Cu.mt/year Stone (Gitti ) & 1275 Cu.mt/year Overburden having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 170/1, (Govt. land) Village Teligaon Tehsil Chachauda , District- Guna (M.P.). B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rajkumar, Lessee, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Rajkumar Lodhi, Lessee, S/o Shri Nanjiram Lodhi, R/o-Village-Khandi, District-Rajgarh (M.P) - 465677, Prior Environment Clearance for Teligaon Stone Quarry 12500 Cu.mt/year Stone (Gitti ) & 1275 Cu.mt/year Over burden having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. - 170/1, (Govt. land) Village Teligaon Tehsil Chachauda , District-Guna (M.P.). SIA/MP/MIN/465492/2024.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 170/1,	एरिया— 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village Teligaon Tehsil Chachauda , District- Guna (M.P.).	
Description of Project	It is a Stone Quarry with a production Capacity of 12500 Cu.mt/year Stone (Gitti ) & 1275 Cu.mt/year Over burden having a lease area of 2.0 Hectare at Khasra No. - 170/1 (Govt.. Land) Village Teligaon Tehsil Chachauda , District- Guna (M.P.).	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1950 दिनांक 15/02/2024.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
टॉर स्थिति	लागू नहीं।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled drilling and blasting.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	Stone Quarry with a production Capacity of 12500 Cu.mt/year Stone (Gitti ) & 1275 Cu.mt/year Over burden.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 129 दिनांक 21/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा <b>5.00</b> हे. होता है, अतः प्रकरण <b>बी-2</b> श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 129 दिनांक 21/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 129 दिनांक 21/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ मंदिर एवं 02 गैर रिहायशी कमरे 200 मी0. की परिधि मे है। ➤ 200 मी0. की परिधि में पक्का रास्ता है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – तेलीगांव, जिला – गुना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 06 दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनापत्ति	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	पत्र जारी किया गया है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	<p>दक्षिण दिशा— खदान क्षेत्र से दक्षिण— पश्चिम दिशा में लगभग 180 मीटर पर स्टॉप डैम स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने बताया कि स्टॉप डैम से 20 मीटर का नॉन माइनिंग जोन अनुमोदित माइनिंग प्लान में दिया गया है एवं स्टॉप डैम से 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।</p> <p>खदान क्षेत्र से दक्षिण— पूर्व दिशा में लगभग 160 मीटर पर मंदिर उपस्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मंदिर से 200 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा जिसके सम्बन्ध में 40 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में दिया गया है।</p> <p>पूर्व दिशा— खदान क्षेत्र से पूर्व दिशा में 190 मीटर पर पक्की सड़क स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने बताया कि पक्की सड़क से 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में दिया गया है।</p> <p>पश्चिम दिशा—</p>
जल/वायु सम्मति वैद्यता	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 129 दिनांक 21/02/2024 द्वारा बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – Stone Quarry with a production Capacity of 12500 Cu.mt/year Stone (Gitti ) & 1275 Cu.mt/year Over burden.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.21 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)
A.	<u>For environment Protection</u>	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

		Capital 1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	Recurring
1	1 nos of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	60,000		10,000
	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 550 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	85,000	---	15,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 235 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,17,500	---	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (2400 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~624 m periphery of Mine lease boundary (~600 no's)	90,000	---	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 235 (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 100 nos at the village temple area @ Rs150/plant 2 <sup>nd</sup> year – 1600 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 80,000	15,000	15000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	5,500	---	1,000
6.	Wire Fencing on lease Periphery ( ~624 m long) (@Rs	3,12,00	---	25000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	500/m)	0		
8.	PUC certification of vehicles ( 2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1000
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	50,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000)	16,000	---	4,000
Emergency Rescue Plan				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		5,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for the carbon sequestration 200 nos @Rs100/bulb	20,000		
17.	Cost proposed for the crusher pollution control equipment.	2,00,000		30,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	Total	11,51,000	15,000	2,21,000
		11,66,000		2,21,000

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु० में)
निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	<b>₹ 80,000/-</b>
<b>कुल</b>	<b>80,000/-</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	आवलों, कटहल, जामुन, आम, संतरा, जामफल, आदि	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	125
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	1575
4	ग्राम तेलीगाव के नजदीक स्थित मुक्तिधाम एवं शासकीय विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

**20. Case No P2/625/24 Shri NEERAJ PATEL, owner, S/o Bhagirath Patel, Gram Saikheda, Post- Pamakhedi, Sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 1.5 ha. (Boulder-2100 cum per annum & Murrum-4900 cum per annum) (Khasra No. 477/1) Village.-Saikheda, Tehsil- Sagar, District-Sagar (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज पटेल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Neeraj Patel S/o Shri Bhagirath Patel R/o- Village-Saikheda, Post-Pamakhedi Sagar, District-sagar(M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	477/1 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.50 hectare.	
स्थल	Village-Saikheda, Tehsil-Sagar, District- Sagar (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 70 दिनांक 12/01/2024 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 01/02/2024, क्षमता-बोल्डर 2100 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम 4900 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम- साईखेड़ा, दिनांक- 29/02/2024		
उत्पादन क्षमता	अनुमोदित खनन योजना अनुसार बोल्डर 2100 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम 4900		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 398 दिनांक 28/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.5 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 398 दिनांक 28/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 398 दिनांक 28/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता 80 मी. पर है एवं पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत साईखेड़ा जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 01 पेड़ स्थित हैं जोकि नो-माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- पक्का रोड लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इलेक्ट्रिक पोल लगभग 110 मीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण पूर्व में 70 मीटर पर अनाज रखने के चबूतरे बने हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाता है।
	पूर्व दिशा- पक्का रोड लगभग 490 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 310 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इलेक्ट्रिक पोल लगभग 218 मीटर की दूरी पर स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	11/03/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **बोल्डर 2100 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम 4900 घनमीटर/वर्ष**।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि **रु. 7.85. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.18 लाख प्रति वर्ष**

### 3. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	35,976	-
1(b)	Water requirement- 0.7995 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (185m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	400 plants × 200 Rs= <b>80,000/-</b>	2,00,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1200 plants × 50 <b>Rs=60,000/-</b>	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	200 plants × 300 <b>Rs=60,000/-</b>	
			15,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>551 m Long</b>)</li> <li>Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>546 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,09,200	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2 )	-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500 )	22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.	18,000	-
	<b>TOTAL</b>	<b>7,85,501 /-</b>	<b>1,18,000/-</b>

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 80,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम साईखेडा के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	<b>80,000/-</b>

**4. Plantation in other area.**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
योग			1800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**21. Case No 9376/22 M/s Khushi Stone – Crusher Prop. Smt. Charu Yadav W/o Shri Manoj Yadav. Village – Nahalda, Tehsil & District- Khandwa (M.P.). Prior Environment Clearance for Basalt stone in an area of 4.600 ha. (Basalt stone – 28500 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 748, 749), Vill. Rawad, Tehsil – Depalpur, Distt. Indore (M.P.) EIA.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खुशी स्टोन क्रेशर प्रो. श्रीमति चारु यादव, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स खुशी स्टोन क्रेशर प्रो. श्रीमति चारु यादव पति श्री मनोज यादव निवासी मकान न. 02 स्नेह नगर कालोनी इंदौर रोड खण्डवा जिला खण्डवा राज्य मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 748,749 (शासकीय क्षेत्रफल – 4.60 हेक्टेयर –नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	ग्राम – नहाल्दा तहसील व जिला खण्डवा राज्य मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 17962/खनिज/2017 खण्डवा दिनांक 13/12/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर –28,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 28,500 घनमीटर/वर्ष है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
गूगल इमेज अनुसार खदान की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया उत्तर दिशा में 20 मीटर तथा 40 मीटर की दूरी पर हालेज रोड़ है, दक्षिण दिशा में 690 मीटर पर आबादी, दक्षिण पश्चिम दिशा में 570 मीटर पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, पूर्व में लगभग 156.00 मीटर दूरी पर बरसाती नाला तथा 01 क्रेशर एवं शेड स्थापित हैं,
क्रेशर की स्थिति	लीज में क्रेशर प्रस्तावित है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781/खनिज/2022 खण्डवा दिनांक .06/10/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.60 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781/खनिज/2022 खण्डवा दिनांक .06/10/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 781/खनिज/2022 खण्डवा दिनांक 06/10/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में दक्षिण दिशा में 0.00 मीटर पर कच्चा रास्ता पूर्व में लगभग 156.00 मीटर दूरी पर बरसाती नाला है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नहाल्दा जिला खण्डवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/09/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भविष्य में दर्ज कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – खण्डवा से पत्र क्रमांक 783/खनिज/2022 इंदौर दिनांक 06/10/2022 प्राप्त हुआ ।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर –28,500 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 14.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.33 लाख प्रति वर्ष ।

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. (Three Times in a Day)	1,00,000	10,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1 tanker x 100 Rs./per day X 280 days	Nil	28,000
1(c)	Mirco – Fogging for control of Air Pollution (RAPL-R180 16L Thermal Fogger Machine)	21,500	2,000
2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [552m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	30,000	20,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 324 m , Width 6.0m) 324m @ 300Rs./Meter	97,200	30,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Plantation (4600 plants will be planted & Distribution during the five year)	5,00,000	20,000
6	Wire Fence 1,609 m x200	3,21,800	60,000
7	For reducing Carbon foot print -Tree Adaptation	1,50,000	Nil
7A	Crusher pollution control equipments	1,50,000	25,000

**Labour Welfare**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (10 x 15 feet)	40,000	4,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 2	25,000	20,000
10	Occupational health Survey 10 Labour @ 500 Rs. = 15000 Rs./twice per year @500 x 2 x 10	Nil	10,000
11	PPES to Work(Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 10 labor @1200 Rs.	12,000	6,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
13	Fire Safety (1 nos.) , @ 30,000	30,000	2,500
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	1500	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>14,99,000</b>	<b>3,33,500</b>

- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
Solar Led Bulb (Rated Power 5 W)	30,000
For the Maintenance in the Primary School Nahalda	70,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

<b>कुल</b>	<b>1,00,000</b>
------------	-----------------

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**22. Case No P2/626/24 Suman, R/o-Village-Gaperi Vishnori, Tehsil-Joura, District-Morena, M.P, 476221. Prior Environment Clearance for Padhavali Flagstone Quarry with a Production capacity of 6,000 cubic meters per year flagstone, having a lease area of 4.00 Ha. at Khasr No. – 883, Vill.- Padhavali , Tehsil- Morena, Hall Tehsil- Bamor , District- Morena (M.P.) B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Suman, Lessee, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Suman, R/o-Village-Gaperi Vishnori, Tehsil-Joura, District- Morena, M.P, 476221. Prior Environment Clearance for Padhavali Flagstone Quarry with a Production capacity of 6,000 cubic meters per year flagstone, having a lease area of 4.00 Ha. at Khasr No. – 883, Vill.- Padhavali , Tehsil- Morena, Hall Tehsil- Bamor , District- Morena (M.P.) SIA/MP/MIN/465717S/2023.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 883.	एरिया— 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Vill.- Padhavali , Tehsil- Morena, Hall Tehsil- Bamor , District- Morena (M.P.)	
Description of Project	It is a Flagstone quarry with a production capacity of 6,000 cubic meter per year Flagstone having a lease area of 4.00 hectares , at Khasra No.— 883 Vill.- Padhavali , Tehsil- Morena, Hall Tehsil- Bamor , District- Morena (M.P.)	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 624 दिनांक 19 / 05 / 2022.	
परियोजना की श्रेणी	<b>बी-2.</b> Fresh EC.	
जल / वायु सम्मति नवीनीकरण	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	<u>No Blasting</u> अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Not Applicable.	
उत्पादन क्षमता	• Flagstone – 6,000 Cubic meters per year .	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र 1172 दिनांक 28 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र 1172 दिनांक 28 / 12 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र 1172 दिनांक 28 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ मरघट. 200 मी. एवं धार्मिक स्थल 300 मी. से अधिक दूर है।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –पढावली, जिला – मुरैना का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 04 दिनांक 16/03/2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– उत्खनिपट्टे में 324 मीटर पर एक पक्का रोड स्थित है एवं 322 मीटर पर पर मानव बसाहट है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11 के सरल क्रमांक – 05 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व दिशा मे 70 मी. पर नाला स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **फर्शी पत्थर – 6,000 cubic meters per year**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.96 लाख प्रति वर्ष।

SNO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	For Environment Protection		
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 750 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep.	95,000	10,000
3	Contribution in development and maintenance of existing Road (Road length approx 455m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (~@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	2,73,000	5,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4	Monitoring twice a year AAQM @10,000/yr, Water@8,000/yr, Noise@5,000/yr Soil@5,000/yr	NIL	10,000
5.	Plantation (Total 4880 trees will be planted.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree B. 1 <sup>st</sup> year – up to ~807m periphery of Mine lease boundary (100nos)	15000	5,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area and distribute to villagers) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 nos on evacuation route up to 455 m both side(@ Rs 500/tree) 200 nos at the temple premises @Rs 150/plant 4430 nos will be distributed to the villagers @Rs 50/plant	50000 30000 221500	50,000
	C. Cost of fertile soil to be brought from outside @ Rs 100 per cubic meter. Each tree to take approx 0.343 cubic meter, therefore approx 31 cubic meters to be utilized in the plantation 250 trees (excluding distributed trees)	3100	25,000
6.	Wire Fencing (807 m long) @Rs 500/m	161,400	10,000
7.	PUC certification of vehicles (1 Dumper @ Rs 500 per)	---	500
<b>Labor Welfare</b>			
8.	Drinking Water Facility at rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	40,000	8,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) @ 12,000 x 2	25,000	5,000
10.	Occupational health checkup for 10 workers (@twice/year)@ 1000 x 2x 10	Nil	20,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 10x 2000)	20,000	2,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
12.	Fire Fighting Equipments (1Nos) @20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	10,000
13.	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	2,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

Solid Waste Management			
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	4,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 100 nos @Rs100/bulb for the carbon sequestration.	10,000	
	Total	9,81,000	1,96,500
	Total		1,96,500

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	<b>₹ 40,000/-</b>
<b>कुल</b>	<b>40,000 /-</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, सिस्सू, आवला, जंगल जलेबी, सफेद कस्टॉर अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, कचनार,, आदि।	100
3	ग्राम के गरही पड़ावली मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, सिस्सो, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	200

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	4430
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**23. Case No P2/595/24 Mrs. Anita Bindal, Partner, M/S BALLARI MAA STONE CRUSHER, R/o-Approach Road Kolaras, District-Shivpuri, M.P. 473770, Prior Environment Clearance for Barai Stone Quarry for Stone Quarry with a Production Capacity of Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year & M-Sand - 7,000 Cu.mt/year having a lease area of 1.0 hectare, at Khasra No. -18 (PVT. Land) Village- Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.) B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Anita Bindal, Partner M/S BALLARI MAA STONE CRUSHER, online, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Mrs. Anita Bindal, Partner, M/S BALLARI MAA STONE CRUSHER, R/o-Approach Road Kolaras, District-Shivpuri, M.P. 473770, Prior Environment Clearance for Barai Stone Quarry for Stone Quarry with a Production Capacity of Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year & M-Sand - 7,000 Cu.mt/year having a lease area of 1.0 hectare, at Khasra No. -18 (Govt. Land) Village- Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.)	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 18,	एरिया- 1.00 ha., स्वयं की निजी भूमि
परियोजना स्थल	Village- Barai, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.)	
Description of Project	It is a Stone Quarry with a Production Capacity of 10,000 Cu.mt/year	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	Stone (Gitti,) 7,000 Cu.mt/year M-Sand having a lease area of 1.0 hectare, at Khasra No. -18 (Govt. Land) Village- Barai, Tehsil-Badarwas, District- Shivpuri (M.P.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 239 दिनांक 12/02/2024.
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.
टॉर स्थिति	<b>लागू नहीं।</b>
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting and use of sand bags.
केशर की स्थिति	एम सेण्ड केशर लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 0</li> <li>● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 0</li> <li>● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 0</li> </ul>
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	<b>लागू नहीं।</b>
उत्पादन क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year.</li> <li>● M-Sand 7,000 Cu.mt/year.</li> </ul>
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शिवपुरी</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 370 दिनांक 01/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदाने स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा <b>5.00</b> हे. होता है, अतः प्रकरण <b>बी-2</b> श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शिवपुरी</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 370 दिनांक 01/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>शिवपुरी</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 370 दिनांक 01/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – बारई, जिला – <b>शिवपुरी</b> द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र०. 02 दिनांक 29/102/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	500 मी कि परिधि में कुछ अन्य गड्ढे परिलक्षित हो रहे हैं, जिनके सम्बंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त गड्ढे पूर्व में स्वीकृत खदानों के गड्ढे हैं, जो कि वर्तमान में बंद हैं एवं कुछ ग्राम वासियो द्वारा खोदे गये गड्ढे हैं उक्त प्रकरण के 500 मीटर के दायरे में अन्य स्वीकृत उत्खनिपट्टा प्रकरण क्रमांक P2/619/2024 जिसके एकल पत्र क्रमांक 255/3-6/खनि/क्यु.एल.38/21/2024 शिवपुरी में उत्खनिपट्टे के 500 मीटर में आरहे अन्य गड्ढों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है ।
	उत्तर पूर्व दिशा— खदान क्षेत्र से उत्तर पूर्व दिशा में 76 मीटर पर नाला स्थित है।
	उत्तर पश्चिम दिशा— खदान क्षेत्र से उत्तर पश्चिम दिशा में 72 मीटर पर नाला उपस्थित है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शिवपुरी के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 13/02/2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

7. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year & M-Sand 7,000 Cu.mt/year.
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.51 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	Recurring
<b>A.</b>	<b><u>For environment Protection</u></b>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	60,000 -	---	30,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 400 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.  And Sedimentation Tank for M-sand <sup>2</sup> of 3m X 2m X 3 m each	60,000  40,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 120 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	60,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
<b>5</b>	<b>Plantation (2400 trees will be planted)</b>			
	<b>Within Lease Area</b> (In Barrier Zone) @150rs./tree <b>1st year</b> -in periphery of Mine lease boundary (~460 no's)	69,000	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road, village road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 50 no's on evacuation route up to 120 (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 50 no's at nearby village school Teligaon & 50 at Village Muktidham @Rs 150 (as boundary wall is present these place) 2 <sup>nd</sup> year – 640 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	25,000  32,000	15,000  7500	15000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Normal Wire Fencing on lease Periphery ( ~624 m long) (@Rs 500/m)	2,29,000	---	15000
8.	PUC certification of vehicles ( 2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	2500
Labour Welfare				
9.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
10.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	25,000	---	5,000
11.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 10	Nil	---	20,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

12.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .10x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting & drilling (@1 belts of Rs 2000)	22,000	---	4,000
Emergency Rescue Plan				
13	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
Solid Waste Management				
15.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
16.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for the carbon sequestration 300 nos @Rs100/bulb	30000		
17.	Cost for the crusher pollution control equipment	200000		30000
	Total	9,93,000	7500	2,51,500
		10,00,500		

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बारई में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	<b>₹ 80,000/-</b>
<b>कुल</b>	<b>80,000 /-</b>

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , संतरा, जामफल, आदि	460
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-	50

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	640
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारई परिसर में वृक्षारोपण 50 पौधे रोपे जाएंगे।	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**24.Case No 10567/23 Shri Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone, M-Sand, Murram in an area of 3.80 ha. (Stone – 50000 m<sup>3</sup>/Year, M-Sand – 50000 m<sup>3</sup>/Year and Murram – 15000 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 23, 24/3/2, 24/3/3, 25/3/2, 25/3/3, 31/3/2, 31/3/3), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) EIA**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Karan Singh Thakur on-line एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	23, 24/3/2, 24/3/3, 25/3/2, 25/3/3, 31/3/2, 31/3/3 (निजी OWN-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक की है)	3.80 hectare.
स्थल	Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 8096 दिनांक 27/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।
टॉर	सेक की 690 बैठक दिनांक 17/10/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 05/12/2023 के द्वारा Stone – 50000 m3/Year, M-Sand – 50000 m3/Year and Murram – 15000 m3/Year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-1
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 50000 m3/Year, M-Sand – 50000 m3/Year and Murram – 15000 m3/Year घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 50000 m3/Year, M-Sand – 50000 m3/Year and Murram – 15000 m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1782 दिनांक 22/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 21.836 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1782 दिनांक 22/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1782 दिनांक 22/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रावद जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-02 दिनांक 18/05/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 00 Additional tree to be planted -00
केशर एवं एम-सेंड की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	केशर एवं एम-सेंड प्लांट लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- पक्का रोड - 250 मीटर पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1792 दिनांक 23/08/23 अनुसार आगाम डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 23/02/2024 ग्राम-रावद, तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.):— संपन्न हुई पोधा रोपण किया जाये रोजगार दिया जाये रोड का रख रखाव किया जाये जल छिडकाव किया जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year & M-Sand 7,000 Cu.mt/year.
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.77 लाख प्रति वर्ष ।

Sn.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
<b>A. For Environment Protection</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

1	Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	80,000	10,000
	B. Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 1180m Long) Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. (6Nos) All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,50,000	20,000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 430 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs500/ meter	2,15,000	10,000
	B contributing for Widening and maintenance of the existing kaccha road (Road length approx. 750m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	75,000	10,000
4.	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr, Soil @10000/yr	NIL	20,000
5	Within Lease Area in Barrier Zone (830m) @ 150rs./tree (830nos) covering the whole periphery of mine lease area	2,40,000	
6	Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of the manure for the plants) - 1st year- 60nos on approach road up to 420m both side (@ Rs 500/tree) - 1st year- 120 nos. Plantation at around the temple/ Hospital/School at nearby village - 1st year- 3550nos will be distributed to the nearby villagers @Rs 50/plant	1,84,500 30,000 18,000 1,39,000	20,000
7	Wire fence (850m long) (@Rs500/m)	4,25,000	50,000
8	Wind breaking wall : Total 200m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	1,00,000	10,000
9	Maintenance of Crusher Plan		50,000
10	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local	5,000	-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	seeds along the bund of the garland drain & settling tank		
11	PUC certification of vehicles (9 dumpers @ Rs 500 per dumper)		4,500
12	Drinking Water Facility and rest shelter (20x15 ft.) with solar light	50,000	5,000
13	2 number toilet (Rs 12,500/- per toilet)	25,000	5,000
14	Occupational health checkup for workers and Villagers (@twice/year)@	Nil	40,000
15	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in drilling works for max 2 workers only - (30 x Rs 1600+Rs 6,000 for safety harness @ Rs 2000 per set)	54,000	10,000
16	Vocational Training for 30 Worker	-	12,500
17	Curtain wall: Total 200m long (200m ) (@Rs 1000/Meter)	1,00,000	10,000
18	Emergency Rescue Plan		
19	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	42,000	10,000
20	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	10,000	5,000
21	Contribution in Cluster Management Plan	-	30,000
22	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	42,000	10,000
23	Solid Waste Management		
24	a) Bins 2Nos @ Rs 1500 each	3,000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	2,000	
25	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers for carbon sequestration 1000 nos of bulb @Rs 100/bulb	1,00,000	-
26	Cost for the crusher pollution control equipment	300000	50000
	Total	23,89,500	3,77,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु०. में)
ग्राम रावद के गाँववासियो के कल्याण के लिए रोगी कल्याण समिति में अधोसंरचना	<b>1,40,000/-</b>

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 मई 2024**

विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के खाते में भूप्रवेश होने के 6 माह में अंदर उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	
<b>कुल</b>	<b>1,40,000/-</b>

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4560 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	60
	शास्कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रंगवासा में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, बरगद आम, आमला आदि।	80
	कार्यालय ग्राम पंचायत रावद में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- बरगद, पीपल, नीम, चिरोल आदि	10
	रावद गांव में स्थित पानी की टंकी के चारो तरफ वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, बरगद आम, आमला आदि।	30
	आसपास के गांव में पौधे वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	2780

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**25. Case No P2/627/24 Shri SAGARMAL SHARMA, Lessee, Nayagaon, Nayagaon C F, Neemuch (M.P.) Shri SAGARMAL SHARMA, Lessee, Nayagaon, Nayagaon C F, Neemuch (M.P.). Prior Environment Clearance for Khanda/Dhoka in an area of 1.0 ha. (Khanda/Dhoka – 10000 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 407), Gram – Bamanbardi, Tehsil & District – Neemuch (M.P.) B-2.**

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक सागरमल शर्मा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सागरमल भार्मा पिता श्री बसन्तीलाल भार्मा, निवासी –705, सुरज कॉलोनी, नयागाँव, तहसील जावद, जिला नीमच म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	407 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) शासकीय भूमि	1.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम चेनपुरा, तहसील नीमच, जिला नीमच	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक - 61/खनिज/क्यु.एल-06-2023/2024, दिनांक 17.01.2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खण्डा/धोका- 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार खण्डा/धोका- 10,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 282/खनिज/2023-24 दिनांक 16.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.750 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 282/खनिज/2023-24 दिनांक 16.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 282/खनिज/2023-24 दिनांक 16.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बामनबर्डी, जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 266/पंचा/2023-24 दिनांक 06.10.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के समीप स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<b>Tree existed-No</b>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व दिशा में 35 मीटर पर हालेज रोड है।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा में जो तीन शेड है वो पास वाले क्रशर यूनिट के अस्थाई ऑफिस बने हुए है
	दक्षिण दिशा में 10 मीटर की दुरी पर होलेज रोड है
	पच्छिम दिशा में जो संरचना हे वो बंद पड़ी हुई खदानों के ऑफिस है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नविन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा
जन सुनवाई	लागू नहीं हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Khanda/Dhoka 10,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 9.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.91 लाख प्रति वर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	50,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50 KLD	65,000	20,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 190 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	1,71,000	30,000
3.	वृक्षारोपण	1,25,000	20,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार ( @ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	60,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक ) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरऔर ( वर्ष रखरखाव के लिए।/2000 .रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(	-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाशवेब ( ) साइट विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खननवेब ( कैमरा, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड )@ /2000सोलर आदि (	42,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 400 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4 एवं मजदूरी	28,000	20,000
15.	खदान के परिधि में 400 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी )@ रु 500की जाएगी(मीटर/	2,00,000	30,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ 500 (श्रम/ रुपये	-	5,000
17	निकट ग्राम LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए @500/LED X 50	25,000	
	<b>कुल योग</b>	<b>9,01,000</b>	<b>2,91,000</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम चैनपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अधोसंरचना विकास वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 130 मीटर की लम्बाई पर 2 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	100
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (190 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	100
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	900
4.	ग्राम चैनपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण किया जायेगा	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**26.9973/2023 Smt. Vaishali Singh W/o Shri Dileep Singh, Lessee R/o- Village-Naugai Tehsil- Chitrangi, District- Singrauli, M.P, 486885. Prior Environment Clearance for Mauhariya Stone Quarry, Area – 2.40 ha, (55,860 m3/year Stone) (Khasra No. – 20), Village – Mauhariya, TEHSIL: Chitrangi, DIST. – Singrauli (M. P.). (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 15/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Vaishali Singh W/o Shri Dileep Singh, Lessee, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

S N	Projects Details	Remarks
1.	Name of the Applicant and Address project / Company / Organisation	Smt. Vaishali Singh W/o Shri Dileep Singh, Lessee R/o- Village-Naugai Tehsil- Chitrangi, District- Singrauli, M.P, 486885. Prior Environment Clearance for Mauhariya Stone Quarry, Area – 2.40 ha, (55,860 m3/year Stone) (Khasra No. – 20), Village – Mauhariya, TEHSIL: Chitrangi, DIST. – Singrauli (M. P.). SIA/MP/MIN/465875/2024.
2.	Description of Project	It is a Stone quarry with a production capacity of Max. 55,860 m3/year Stone having a lease area of 2.40 Hectares at Khasra No. 20 Vill.- Mauhariya, Tehsil- Chitrangi, District- Singrauli (M.P.).
3.	ToR Status	ToR Recommended in 656 <sup>th</sup> SEAC Meeting Dated 23/06/2023. ToR letter No. 942 dated 24/07/2023.
4.	EC Status (Fresh/ Exp.)	Fresh
5.	Public Hearing dt.	प्रस्तावित खदान की दिनांक .20/02/2024 को संपन्न हुई पानी का छिडकाव किया जाए रोजगार प्राप्त हो पेड़ पोधे लगाये जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

6.	केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है		
7.	प्रस्तावित वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण .04</li> <li>● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 40</li> </ul>		
8.	ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।		
9.	प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पक्की सड़क पूर्व में 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है जिससे कि 50 मी. का सेटबैक अनुमोदित खनन योजना में छोड़ा गया है। चूंकि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।		
10.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)	<b>20,</b>	<b>2.40 Ha.</b>	Govt. Land.
11.	Location of Project	Khasra No.- 20, Village: Mauhariya, Tehsil: Chitrangi, DIST.: Singrauli (M. P.).		
12.	Production Quantity in m3/year	Stone – 55,860 m3/year. Mine Plan, Page no.- 16,		
<b>Documentary Details</b>				
13.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. 1533 date 03/05/2023. <b>04 more mine Total Area – 11.15 ha.(Cat. B1)</b>		
14.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Lease Order No. - 8127 date 11/06/2019.		
15.	Tehsildar Certificate	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. 1533 date 03/05/2023.		
16.	DFO NOC	Collector Office letter (Ekal Praman Patra) No. 1533 date 03/05/2023.		
17.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Gram Panchayat Proposal No. - 24 date 26/01/2019.		
18.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Stone – 55,860 m3/year. Mine Plan, Page no.- 16.		
19.	Env. Consultant:	श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)		
20.	DSR	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली द्वारा पत्र क्र. 187 दिनांक 19/01/2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उत्खनिपट्टा को संचालन संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सम्मिलित कर लिया जायेगा		

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 55,860 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.16 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
	<b>For environment Protection</b>		
1	A. Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline. B. Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days - Rs 30,000/-	80,000	10,000 30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 667m Long) Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	80,000	10,000
3	Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 60 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs 800/ meter	48,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@4000/yr, Noise@1000/yr, Soil @5000/yr	NIL	20,000
5	A. Within Lease Area in Barrier Zone & Non Mining Zone (680m) @ 150rs./tree (1180nos) covering the whole periphery of mine lease area	1,77,000	15,000
	A. Outside the Lease Area	20,000	5,000
	B. - 1st year- 40nos on approach Roadup to 60m both side (@ Rs		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	500/tree) - 2 <sup>nd</sup> year- 180 nos. Plantation at village area like School, Hospital, Aaganwadi and Playground etc. (as boundary wall is present there) @ Rs150/tree --2 <sup>nd</sup> year - 1600nos will be distributed to the nearby villagers @Rs 50/plant	27,000  80,000	
6	Soil Brought from out side	36,000	-
7	Wire fence (700m long) (@Rs500/m)	3,50,000	10,000
8	PUC certification of vehicles (02 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	2,500
9	Contribution in cluster management plan	-	25,000
10	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds along the bund of the garland drain & settling tank	5,000	
11	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers for carbon sequestration 500 nos of bulb @Rs 100/bulb	50,000	-
12	Drinking Water Facility and rest shelter (30x 15 ft.) with solar light	50,000	8,000
13	1 number toilet	12,000	2,000
14	Occupational health checkup for 15 workers (@twice/year) @ 1000 x 2 x 15	Nil	30,000
15	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves) for 15 workers @ Rs 2000 per set	30,000	2,000
16	Vocational training on mining methods and safe work practices (@twice/year) @ 1000 x 2 x 15	-	30,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
17	Fire Fighting Equipments (1Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
18	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	4,000	2,000
<b>Solid Waste Management</b>			
19	a) Bins 2Nos @ Rs 1500 each	3,000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
	Total	10,74,000	2,16,500

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू.1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम मौहरिया स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 03 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	<b>1,00,000/-</b>
<b>कुल</b>	<b>1,00,000/-</b>

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षा रोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज आदि।	1180
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, चिरोल, पीपल, पुत्रजीवा, करंज, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	40
3	कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र मौहरिया में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, बरगद आम, आमला आदि।	30
4	ग्राम भरहरी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	50
5	अमृत सरोवर ग्राम पंचायत भरहरी में वृक्षारोपण - 100 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, बरगद आम, आमला आदि।	100
6	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण - 1600 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, बरगद आम, आमला आदि।	1600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**27. Case No P2/131/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.632 Hectare, Khasra No.- 219, 341 in Village - Chikhahli Amadhana , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 25864 cum per annum [ MIN/446241/2023].**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 6.632 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Chikhali Amadhana & Tehsil – Ghodadongari, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति			
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (चिखली आमढाना) दिनांक - 05.11.2023		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 25,864 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1252 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1252 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1252 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।		

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिखली आमढाना जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	रेत की खदान है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र से 172 मी. की दूरी पर रोड ब्रिज है जिसकी लम्बाई 165 मी. है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 500 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है एवं रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है, अतः खनन हेतु 2.26 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.20 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 4500 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 4500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.28 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 160 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	16,000	10,000
3	Plantation (1500 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,12,500	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
5	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
6	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
7	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
8	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
9	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
10	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
11	Signage and Caution Board	30,000	3,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

<b>Total EMP Cost</b>	<b>3,88,500</b>	<b>28,000</b>
-----------------------	-----------------	---------------

**3. CER Table**

क्रमांक न.	सी.एस.आर .मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु .में
1	ग्राम चिखली आमढाना के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	5,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाडी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	250
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा  </p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा  </p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे  </p>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**28. Case No P2/132/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 0.35 Hectare, Khasra No.- 175 in Village - Amadhana Rayyat, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 3780 cum per annum [ MIN/446256/2023].**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।  
**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 0.350 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Amadhana Rayyat & Tehsil – Ghodadongari, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (आमढाना रैयत-2) दिनांक - 04. 11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,780 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1262 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.780 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1262 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1262 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आमढाना रैयत.2 जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11 के सरल क्रमांक- 18 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान एवं डी.एस.आर. मे दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

**29. Case No P2/133/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.45 Hectare, Khasra No.- 106 in Village - Kodaroti, Tehsil - Betul, District - Betul (MP), Maximum Production - 4251 cum per annum [ MIN/446335/2023].**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) वं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**1. परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.450 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	5.1			
Mineable Quantity	4000 cub meter (Setback due to bridge)			
स्थल	Village – Kodaroti & Tehsil – Chicholi, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/ रॉक	रेत की खदान है			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

ब्रेकर का उल्लेख करें।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (कोडारोटी) दिनांक - 04.11.2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 4,251 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1227 दिनांक 18.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1227 दिनांक 18.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1227 दिनांक 18.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोडारोटी जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.07.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक- 25 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के अप स्ट्रीम में रोड ब्रिज है जिसकी लम्बाई 51 मी. है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 500 मी. का सेटबेक छोड़ा गया है **एवं रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है**, अतः खनन हेतु 4.7 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.13 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 4251 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार **अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत- 4251 घनमीटर/वर्ष** हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 70 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	7,000	10,000
3	Plantation (1000 plants will be planted & Distribution during the first year).	87,500	5,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>3,54,500</b>	<b>2,04,000</b>

**3. CER Table**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम कोदारोटी के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	20,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	200
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200
3	आस पास के गांवों में वितरित- )पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**30. Case No P2/134/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.08 Hectare, Khasra No.- 20 in Village - Sangwani , Tehsil - Chicholi, District - Betul (MP), Maximum Production - 17,983 cum per annum [ MIN/446301/2023].**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**2. परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.08 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Sangwani & Tehsil – Chicholi, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (सांगवानी) दिनांक - 05.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 17,983 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1249 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1249 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1249 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सांगवानी जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 18.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-14 के सरल क्रमांक- 31 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः नॉन माइनिंग एरिया 3.8 हेक्टेयर छोड़ा गया है एवं खनन हेतु शेष 1.28 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध होता है । खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.59 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 7550 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 7550 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

**2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 60 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	6,000	10,000
3	Plantation (1000 plants will be planted & Distribution during the first year).	87,500	5,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>2,73,500</b>	<b>2,04,000</b>

### 3. CER Table

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम सांगवानी के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 250 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	250
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**31. Case No P2/135/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.80 Hectare, Khasra No.- 38 in Village - Malwar, Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 88452 cum per annum [ MIN/446268/2023].**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 7.8 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Malwar, Tehsil – Ghoda Dongari, District – Betul State – Madhya Pradesh			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मालवार) दिनांक - 05.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 88,452 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.05 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खापा जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-9 के सरल क्रमांक- 9 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-88452 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।
  2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
  3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
  4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 650 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	65,000	10,000
3	Plantation (9360 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,02,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation (1,000 Trees above 6m girth)	1,00,000	1,00,000
<b>Labour Welfare</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>11,77,000</b>	<b>3,49,000</b>

**3. CER Table**

क्रमांक न.	सी.एस.आर .मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु .में
1	ग्राम मालवार के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,560 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,560
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1560
3	आस पास के गांवों में वितरित- )पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	6240

751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**32. Case No P2/136/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.10 Hectare, Khasra No.- 187, 251 in Village - Shitaldehi , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 17658 cum per annum [ MIN/446259/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 6.100 Ha.	वन	निजी	Ha.
Minable Area	3.945 Ha			
Mineable Quantity	7890 Cubmeter/year (Submerged due to water)			
स्थल	Village – Shataldehi & Tehsil – Ghodadongari, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (सातलदेही) दिनांक - 07.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 17,658 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1250 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1250 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1250 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिखली आमढाना जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11 के सरल क्रमांक- 19 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में जल भराव है अतः नॉन माइनिंग एरिया छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु 3.945 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.20 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 16,560 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् **उत्पादन क्षमता रेत-16560 घनमीटर/वर्ष** हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 570 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	57,000	10,000
3	Plantation (1000 plants will be planted & Distribution during the first year).	84700	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>4,01,700</b>	<b>2,49,000</b>

**CER Table**

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु.में
1	ग्राम सातलदेही के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	10,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	200
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाडी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200
3	आस पास के गांवों में वितरित- )पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	600

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**33. Case No P2/137/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.35 Hectare, Khasra No.- 266 in Village - Gounapur , Tehsil - Shahpur, District - Betul (MP), Maximum Production - 83,460 cum per annum [ MIN/446356/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.35 Ha.	वन	निजी	Ha.

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

Mineable Area	3.31 Ha			
Mineable Quantity	51,636 cubmeter /year (Setback due to bridge)			
स्थल	Village – Gounapur & Tehsil – Shahpur, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गौनापुर) दिनांक - 04.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 83,460 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1248 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है ।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1248 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1248 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौनापुर जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 19.11.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 38 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 3.31 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 2.60 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 83,466 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 83,466 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1490 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,49,000	10,000
3	Plantation (7500 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,81,500	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation (1000 Trees above girth)	1,00,000	1,00,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>10,69,100</b>	<b>3,49,000</b>

**CER Table**

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गौनापुर के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,070 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,070
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,070
3	आस पास के गांवों में वितरित- (पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4,280

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**34. Case No P2/138/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.25 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - Dodi , Tehsil - Shahpur, District - Betul (MP), Maximum Production - 70,875 cum per annum [ MIN/446345/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय	वन	निजी	Ha.

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

(सरकारी / निजी)	6.25 Ha.			
Mineable Area	4.75 ha			
Mineable Quantity	53,865 Cubmeter/year (Setback due to bridge)			
स्थल	Village – Dodi & Tehsil – Ghodadongri, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (दौडी) दिनांक - 04.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 70,875 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1224 दिनांक 18.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1224 दिनांक 18.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	उल्लेख )	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1224 दिनांक 18.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौडी जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 19.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है	रेत की खदान है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• रेत की खदान है	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 36 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है अतः खनन हेतु 4.75 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 1.89 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 70,875 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 70,875 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई जुनजपब थंडं तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 670 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	67,000	10,000
3	Plantation (7500 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,62,500	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

6	Trees Adaptation (1000 Trees above girth)	1,00,000	1,00,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @ 500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @ 1000 Rs.	40,000	5,000
11	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>12,19,100</b>	<b>3,49,000</b>

**3. CER Table**

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम दौड़ी के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,250 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,250

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 मई 2024**

2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,250
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5,000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**35. Case No P2/139/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.09 Hectare, Khasra No.- 248, 141, 130 in Village - Amadhana Rayyat , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 21,420 cum per annum [ MIN/446228/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 6.090 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	2.27 Ha			
Mineable Reserve	7980 Cubmeter/year (Setback due to Bridge)			
स्थल	Village – Amadhana Rayyat & Tehsil – Amla, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट ( आमढाना रैयत ) दिनांक - 06.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 21,420 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला betul के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 19.07.2023			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 19.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बारछी जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 40 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र से 172 मी. की दूरी पर रोड ब्रिज है जिसकी लम्बाई 165 मी. है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 500 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है **एवं रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है**, अतः खनन हेतु 2.27 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

एवं गहराई 0.586 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 13,393 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 13,393 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 750 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	75,000	10,000
3	Plantation (1000 plants will be planted & Distribution during the first year).	80,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>4,15,000</b>	<b>2,49,000</b>

**CER Table**

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम आमढाना रैयत के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	5,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	200
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	200
3	आस पास के गांवों में वितरित- )पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	600

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा |
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा |
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे |
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा | परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी |

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**36. Case No P2/140/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.59 Hectare, Khasra No.- 01, 09 in Village - Harnya , Tehsil - Chicholi, District - Betul (MP), Maximum Production - 26400 cum per annum [ MIN/446324/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय	वन	निजी	Ha.

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

(सरकारी / निजी)	5.590 Ha.			
Mineable Area	3.71			
Mineable Quantity	17,585 Cubmeter/year (Setback due to bridge)			
स्थल	Village – Harnya & Tehsil – Chicholi, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (हरण्या) दिनांक - 04.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 26,400 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1243 दिनांक 19.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1243 दिनांक 19.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1243 दिनांक 19.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरण्या जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 08.07.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	रेत की खदान है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 के सरल क्रमांक- 29 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है । पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के अन्दर एक पक्का रोड ब्रिज है जिसकी लम्बाई 51 मी. है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 500 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है **एवं रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है**, अतः खनन हेतु 3.17 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.787 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 25,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत- 25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 60 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	6,000	10,000
3	Plantation (1000 plants will be planted & Distribution during the first year).	87,500	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation (1000 Trees above girth)	1,00,000	1,00,000

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>5,03,500</b>	<b>3,49,000</b>

### 3. CER Table

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम हरन्या के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 250 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाडी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	250

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3	आस पास के गांवों में वितरित- )पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	500
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा  </li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा  </li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे  </li> <li>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा   परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी  </li> </ul>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**37. Case No P2/141/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 19.62 Hectare, Khasra No.- 01, 288. 01 in Village - Banspur/Shivsagar , Tehsil - Ghodadongri, District - Betul (MP), Maximum Production - 306072 cum per annum [ MIN/446273/2023**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया |

**परियोजना विवरण :-**

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 19.50 Ha.	वन	निजी	Ha.
Mineable Area	10.30 Ha			
Mineable Quantity	1,60,680 Cubmeter/year (Setback due to bridge)			
स्थल	Village – Banspur/Shivsagar & Tehsil – Ghododongari, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बाँसपूर/शिवसागर) दिनांक - 05.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,06,072 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1247 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1247 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1249 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बाँसपूर/शिवसागर जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 21.10.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक- 22 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है। पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम में एक पक्का रोड ब्रिज है 247 मी. की दूरी पर रोड ब्रिज है जिसकी लम्बाई 257 मी. है एवं रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 500 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है अतः खनन हेतु 10.30 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 2.60 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 2,67,800 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार **अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत- 2,67,800घनमीटर/वर्ष** हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 21.98 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Aquatic Fauna** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 230 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	23,000	10,000
3	Plantation (9360 plants will be planted & Distribution during the first year).	17,65,800	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation (1000 Trees above 6m girth)	1,00,000	1,00,000
<b>Labour Welfare</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 15 मई 2024**

7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>21,98,800</b>	<b>3,49,000</b>

**3. CER Table**

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बाँसपूर/शिवसागर के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000
2	पेंच टाड़गर में सहायता हेतु एको समिती	50,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3,924 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	3,924
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	3,924

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	जाएंगे		
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	15,696
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा  </li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा  </li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे  </li> <li>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा   परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी  </li> </ul>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**38. Case No P2/142/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.52 Hectare, Khasra No.- 434, 308 in Village - Barchi , Tehsil - Amla, District - Betul (MP), Maximum Production - 6127 cum per annum [ MIN/446215/2023]. EIA.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri PRAMOD DHABAI , M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.520 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Barchi & Tehsil – Amla, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बारछी) दिनांक - 06.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 6127 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 19.07.2023			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बारछी जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	रेत की खदान है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक- 40 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोड ब्रिज है जिसकी लम्बाई 100 मी. है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ब्रिज के दोनो तरफ 500 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है **एवं**

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है, अतः खनन हेतु 1.0 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.18 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 1850 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-1850 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.223 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### 2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 220 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	22,000	10,000
3	Plantation (6624 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,96,800	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-
6	Trees Adaptation(1000 trees above 6m girth)	1,00,000	1,00,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>9,28,800</b>	<b>3,49,000</b>

**3. CER Table**

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बारछी के आंगनवाडी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,104 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,104
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,104

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

3	आस पास के गांवों में वितरित- )पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4,416
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा  </p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा  </p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे  </p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा   परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी  </p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**39. Case No P2/143/24 PRAMOD DHABAI, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.54 Hectare, Khasra No.- 1, 1 in Village - Sontalai/Samrattdhana , Tehsil - Amla, District - Betul (MP), Maximum Production - 13296 cum per annum [ MIN/446186/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 15.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri PRAMOD DHABAI , M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Pramod Kumar Dhavai) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan,

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

का नाम व पता	Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Pramod Kumar Dhavai			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.540 Ha.	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village – Sontalai/Samratdhana & Tehsil – Amla, District – Betul (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट ( सोनतालाई/समरतढाना) दिनांक - 05.11.2023			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 13,296 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र			

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेतुल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.-2/2023/1255 दिनांक 20.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सोनतालाई/समरतढाना जिला बेतुल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.04.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम चै। के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-15 के सरल क्रमांक-40 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोड ब्रिज एवं 02 स्टाप डैम है परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ब्रिज के दोनों तरफ 500 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है **एवं रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा कम है**, अतः खनन हेतु 1.22 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.40 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 4880 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 4880 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.396 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.49 लाख प्रति वर्ष ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation ( Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 310 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	31,000	10,000
3	Plantation (6648 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,98,600	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	LED Bulb Distribution in Village gram panchayat	50,000	-

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

6	Trees Adaptation (1,000 Trees above 6m girth)	1,00,000	1,00,000
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (40 x 15 feet)	40,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>9,39,600</b>	<b>3,49,000</b>

**CER Table**

क्रमांक न.	सी.एस.आर.मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु.में
1	ग्राम सोनतलाई/समरतढाना के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	40,000

**Plantation Scheme -**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1,108 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,108
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य	1,108

**751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 15 मई 2024**

	शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	स्थानीय फलदार प्रजातिया	
3	आस पास के गांवों में वितरित)-पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ( किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4,432
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा  </li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा  </li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे  </li> <li>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा   परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी  </li> </ul>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

# 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर / एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  38. **केशर अथवा एम सेंड प्लांट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेंड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम. सेंड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेंड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
2. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### **Annexure- ‘C’**

#### **Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

- allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - p. Minable Potential of sand mine.
    - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

- tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
  37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
  41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
  42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
  43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
  44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

### खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

### **नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### **नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)**

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियों ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
---	---	--

## 751 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2024

2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई च्चतवदम ढतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

**Additional TOR points for Minor Minerals -**  
**(In addition to Standard TOR)**

1. **EIA for Cluster** : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. **Plantation scheme** : Show numbers and species in tabular form
  - A- Government land
    1. In barrier Zone
    2. In non mining area (set back)
    3. Along evacuation route
    4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
    5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
  - B- In Fodder Land
 

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
  - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
  - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. **Set Back** – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)
 

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 5. Railway line      | 18. Catchment area                               |
| 6. Wind mills        | 19. Stocked root (Area having)                   |
| 7. Agriculture land  | 20. Nearby Biodiversity rich area.               |
|                      | 21. Water conservation structures, stop dams     |
| 8. Natural drainage  | 22. Trees inside the mine                        |
| 9. Nala/ river       | 23. Other Habitation                             |
| 10. Habitation,      | 24. Electric high tension line                   |
| 11. Wells, Temples   | 25. Bridges /Culverts                            |
| 12. Other structures | 26. Electric pole/Tower , Shamshan               |
|                      | 27. RET species (Rare endangered and Threatened) |
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any,
4. For blasting or for non blasting: if mine lease area within-
1. 250 m. of forest land
  2. ESZ areas , Buffer area
  3. If private land : Own/Agreement
    1. OWN
    2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
    3. Cost benefit ratio
  4. If grass land : grass land development & maintenance
  5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.  
- Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. **In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report**

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production ( showing on surface plan)
- Dump areas

(A) **If – Crusher & M-sand plantis in mining area**

Surface plan includes ( if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

**Consultant must visit the site for B<sub>1</sub> and B<sub>2</sub> areas both: Following information/data is required to be collected during site visit**

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

#### 8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities
6. Distance from mines area in the following public places
  1. Habitation
  2. School
  3. Health centre
  4. other public places
  5. any sensitive area (men made structure / natural)

#### 9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

#### 10. EMP as proposed in tabular form

#### 11. Mining Activity.

- (A) If - mines in PESA areas
- full fill the all PESA related requirements
  - if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9
- (B) If- within the 500 mt. radius- existing mines
- owner name
  - area
  - Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.
- (C) If M-sand proposed within 500 m of radius
- place on surface map
  - slurry management
  - Water requirement : Quantity & source
- (D) If excavation route lies on private land
- the permission of land owner for transportation.
- (E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.
1. Stone - 10,000 m<sup>3</sup>/yr with crusher, 15000 m<sup>3</sup>/yr without crusher
  2. murum- 20,000 m<sup>3</sup>/yr
  3. Clay – 30,000 m<sup>3</sup>/yr with kiln & chimney
- (F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. Miscellaneous

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m<sup>3</sup>/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface lan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) It there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member  
(SEAC)**

**Chairman  
(SEAC)**